REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-264011 CG-DL-E-20062025-264011

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2681] No. 2681]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

> रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2025

पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 2746(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024, के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

"(2) यह 24 दिसंबर, 2025 को प्रवृत्त होगा"।

[फा. सं. पीसीटी-59011/44/2022-पीसी टेक.-सीपीसी] दीपक मिश्रा, संयक्त सचिव टिप्पण: मुल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 920(अ), तारीख 26 फरवरी. 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसचना संख्यांक का.आ. 3595(अ). तारीख 23 अगस्त, 2024 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5552(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2024 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2025

POLY VINYL CHLORIDE (PVC) HOMOPOLYMERS (OUALITY CONTROL) AMENDMENT ORDER, 2025

S.O. 2746(E).-In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Poly Vinvl Chloride (PVC) Homopolymers (Ouality Control) Order, 2024, namely: -

1. (1) This order may be called the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(2) It shall come into force on the 24th day of December, 2025."

[F. No. PCT-59011/44/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 920(E), dated the 26th February, 2024 and subsequently amended vide notification number S.O. 3595(E), dated 23rd August, 2024 and notification number S.O. 5552(E), dated 24th December, 2024.